

# न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 31/2023

GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/32

प्रार्थी/अपीलार्थी :-

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड  
(जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स  
इण्डिया के नाम से जाना जाता था)  
मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए,  
धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर

बनाम

अप्रार्थी /रेसपोण्डेंट्स:-

1. श्री हेमेन्द्र सुथार पिता स्व. श्री नानालाल  
जी सुथार, निवासी पीपली चौक, बोरी,  
तहसील-गढी, जिला- बांसवाड़ा, (राज.)  
**At also** – श्री हेमेन्द्र सुथार पिता स्व.  
श्री नानालाल जी सुथार पता- सर्व नं.  
-3967, पीपली चौक, बोरी, तहसील-गढी,  
जिला बांसवाड़ा 327022 (ऋणी/बंधक  
कर्ता)
2. श्री पंकज पंचाल पिता श्री अम्बालाल  
पंचाल, निवासी गांधी आश्रम के सामने  
परतापुर, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.)  
3270001 (सहऋणी)

## निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :- 20-07-2023

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर  
रोड, जयपुर ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि 1- श्री हेमेन्द्र सुथार पिता स्व. श्री नानालाल  
जी सुथार, निवासी पीपली चौक, बोरी, तहसील-गढी, जिला- बांसवाड़ा, (राज.) **At also** – श्री हेमेन्द्र  
सुथार पिता स्व. श्री नानालाल जी सुथार पता- सर्व नं.-3967, पीपली चौक, बोरी, तहसील-गढी, जिला  
बांसवाड़ा 327022 (ऋणी/बंधक कर्ता) 2- श्री पंकज पंचाल पिता श्री अम्बालाल पंचाल, निवासी गांधी आश्रम  
के सामने परतापुर, बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा (राज.) 3270001 (सहऋणी) को दिनांक 30-04-2019 को  
4,50,000 (चार लाख पचास हजार रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण




कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)



उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक 01-11-2022 को अक्रियान्वित आरिष्ठ में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणों के खाते दिनांक 05-11-2022 तक कुल बकाया राशि 419735 रु. एवं तत्पश्चात व्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके व्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्क्योरिटी के रूप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति श्री हेमेन्द्र सुथार पिता स्व.श्री नानालाल सुथार, पता सर्वे नंबर 3967, पीपली चौक, बोरी, तहसील गढी, जिला बांसवाडा जिसका कुलिया माप 77.7 स्क्वायर यार्ड है, जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति का अभिन्न अंग है, जिसके पूर्व में श्री नटवर लाल का मकान, पश्चिम में ब्राह्मण धर्मशाला का रास्ता, उत्तर में सतीश सुथार का मकान एवं दक्षिण में आम रास्ता है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना दिनांक 18 सितम्बर 2017 के अनुसार प्रार्थी ए.यु. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड, मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड (क) के

अनुसरण में बैंक को शामिल किया है। जिसकी प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण में 20 प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

  
पत्रकार राम लाल गजिस्ट्रीट  
बांसवाडा (राज.)

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक 07-11-2022 को ऋणी अप्रार्थीगणों को नोटिस दिया गया जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नहीं की व उसने ऋण राशि जमा नहीं करवाई। प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा अप्रार्थीगणों को दिनांक 30-04-2019 को 4,50,000 (चार लाख पचास हजार रुपया) ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक के पक्ष में बंधक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटिस दिनांक 04-04-2023 को जारी किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 का नोटिस दिनांक 22-06-2023, अप्रार्थी सं.2 का नोटिस दिनांक 07.07.2023 को बाद तामील प्रस्तुत हुए किन्तु अप्रार्थीगण सं. 1, 2 अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 20.07.2023 को भी समस्त अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे हैं। बार बार रुक रुक कर अप्रार्थीगणों को सायं 04.00 पी.एम तक आवाज लगवाई गई, ऋणी/अप्रार्थी सं. 1 से 2 स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे हैं। समस्त अप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में कथन किया कि ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवाई गई न सुनवाई के दौरान

उपस्थित रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने निवेदन किया।

हमने एकपक्षीय बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है एवं

वित्तीय संस्था को अचल सम्पत्ति का कब्जा लिये जाने हेतु सहयोग प्रदान किया जाना आवश्यक

डॉ. राजेश कुमार  
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
बांसवाड़ा (राज.)




है। यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/वित्तीय संस्था का होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेसी एक्ट 2002 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गढी को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त बन्धक स्वरूप सम्पत्ति का कब्जा एवं उससे सम्बन्धित कागजात ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेन्सियर्स इण्डिया के नाम से जाना जाता था) मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन अजमेर रोड, जयपुर को दिलाने के लिए बैंक/संस्थान को आवश्यक सहयोग प्रदान करे एवं आवश्यक हो तो थानाधिकारी से पुलिस सहयोग प्राप्त करे। जिला पुलिस अधीक्षक से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वह सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देश प्रदान करे कि आवश्यकता होने पर वह नियमानुसार पुलिस सहायता प्रदान करे।

निर्णय आज दिनांक 20-07-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(प्रकाश चन्द्र शर्मा)  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
बासवाड़ा (राज.)